

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/3/3/01/
सी. ओ./रायपुर/17/2002 "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1-अ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 जनवरी 2005—पौष 11, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2004

क्रमांक 7511/21-अ/प्रारूपण/04.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-12-2004 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 4) अधिनियम, 2004,

वित्तीय वर्ष 2004-2005 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 14 सन् 2004) है.
- वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये राज्य की संचित निधि में से 291,27,67,766 रुपये का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग दो सौ इक्यानबे करोड़ सत्ताईस लाख सड़सठ हजार सात सौ छैसठ रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बाबत वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान दिये जाने होंगे और उपयोजित की जा सकेंगे.
- विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारत	योग
(1)	(2)	रुपये	रुपये	रुपये
01 सामान्य प्रशासन	राजस्व	11,53,49,665	25,000	11,53,74,665
03 पुलिस	राजस्व	6,00,00,600	0	6,00,00,600
	पूंजी	2,00,00,000	0	2,00,00,000
06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,11,63,000	0	5,11,63,000
	पूंजी	5,00,00,000	0	5,00,00,000
07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	31,00,000	0	31,00,000
08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	2,46,47,146	0	2,46,47,146
09 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	66,25,000	0	66,25,000

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग	
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	
		रुपये	रुपये	रुपये	
10	वन	राजस्व पूंजी	21,90,00,000 4,22,79,000	6,17,00,000 0	28,07,00,000 4,22,79,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	99,00,000	0	99,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,87,33,255	0	1,87,33,255
13	कृषि	राजस्व	4,99,65,900	0	4,99,65,900
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,29,82,000	100	5,29,82,100
16	मछली पालन	राजस्व	12,30,000	0	12,30,000
17	सहकारिता	राजस्व	7,50,00,000	0	7,50,00,000
18	श्रम	राजस्व	4,00,000	0	4,00,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	3,32,96,500	0	3,32,96,500
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	200	55,00,000	55,00,200
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	100	0	100
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	15,60,000	0	15,60,000
24	लोक-निर्माण कार्य-सडकें और पुल	पूंजी	6,40,00,000	0	6,40,00,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	57,00,000	0	57,00,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,70,00,100	0	1,70,00,100
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	17,46,16,700	0	17,46,16,700
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	1,05,00,000	0	1,05,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	19,40,00,000	0	19,40,00,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,99,69,000	0	1,99,69,000

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)
		रुपये	रुपये	रुपये
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व 15,00,000	0	15,00,000
34	समाज कल्याण	राजस्व 65,50,000, पूंजी 1,00,00,000	0	65,50,000 1,00,00,000
36	परिवहन	राजस्व 48,00,000	0	48,00,000
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व 33,21,38,500 पूंजी 4,00,00,200	0	33,21,38,500 4,00,00,200
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी 18,45,00,100	0	18,45,00,100
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व 15,00,000 पूंजी 20,00,00,000	0	15,00,000 20,00,00,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व 11,65,00,000	0	11,65,00,000
46	विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व 1,30,00,000	0	1,30,00,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग	राजस्व 40,00,000 पूंजी 3,00,00,000	0	40,00,000 3,00,00,000
48	ग्रामहर्वे वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान.	पूंजी 100	0	100
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व 0	8,00,000	8,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व 85,88,000	0	85,88,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व 1,05,00,000	0	1,05,00,000
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी 100	0	100
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष ऋटक योजना	राजस्व 22,28,38,100 पूंजी 4,50,00,200	0	22,28,38,100 4,50,00,200
	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व 15,16,000 पूंजी 6,71,91,200	0	15,16,000 6,71,91,200
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी 15,00,000	0	15,00,000

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग	
(1)	(2)	रुपये	रुपये	रुपये	
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	5,00,00,000	0	5,00,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,39,70,000	0	4,39,70,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	11,76,32,000	0	11,76,32,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000
82	आदिवासी क्षेत्रों में उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	5,00,000	0	5,00,000
योग		राजस्व	2,03,87,11,666	6,80,25,100	2,10,67,36,766
		पूंजी	80,60,31,000	0	80,60,31,000
वृहद योग			2,84,47,42,666	6,80,25,100	2,91,27,67,766

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2004

क्रमांक 7511/21-अ/प्रारूपण/04... भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 4) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 14 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT.

(No. 14 OF 2004)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2004

An act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2004-2005.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty Fifth year of the Republic of India as follows :-

- Short title.** 1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation Act, 2004 (No. 14 of 2004).
- Issue of Rs. 291,27,67,766 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2004 - 2005.** 2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Two Hundred Ninety One Crore Twenty Seven Lakh Sixty Seven Thousand Seven Hundred Sixty Six rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2004-2005 in respect of services specified in column (2) of the schedule.
- Appropriation.** 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes.	Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total	
(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
01	General Administration	Revenue	11,53,49,665	25,000	11,53,74,665
03	Police	Revenue	6,00,00,600	0	6,00,00,600
		Capital	2,00,00,000	0	2,00,00,000
06	Expenditure pertaining to Finance Department.	Revenue	5,11,63,000	0	5,11,63,000
		Capital	5,00,00,000	0	5,00,00,000
07	Expenditure pertaining to Commercial Tax Department.	Revenue	31,00,000	0	31,00,000
08	Land revenue and district administration	Revenue	2,46,47,146	0	2,46,47,146
09	Expenditure pertaining to Revenue Department.	Revenue	66,25,000	0	66,25,000
		Capital	4,22,79,000	0	4,22,79,000
10	Finance	Revenue	21,90,00,000	6,17,00,000	28,07,00,000
		Capital	4,22,79,000		4,22,79,000

No. of Vote (1)	Services and purposes. (2)	Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly Rs.	Charged on Consolidated Fund Rs.	Total Rs.
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department.	Revenue 99,00,000	0	99,00,000
12	Expenditure pertaining to Energy Department.	Revenue 1,87,33,255	0	1,87,33,255
13	Agriculture	Revenue 4,99,65,900	0	4,99,65,900
14	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department.	Revenue 5,29,82,000	100	5,29,82,100
16	Expenditure pertaining to Fisheries Department	Revenue 12,30,000	0	12,30,000
17	Co-operation	Revenue 7,50,00,000	0	7,50,00,000
18	Labour	Revenue 4,00,000	0	4,00,000
19	Public Health and Family Welfare	Revenue 3,32,96,500	0	3,32,96,500
20	Public Health Engineering	Revenue 200	55,00,000	55,00,200
21	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department.	Capital 100	0	100
23	Water Resources Department	Capital 15,60,000	0	15,60,000
24	Public works-roads and bridges	Capital 6,40,00,000	0	6,40,00,000
25	Expenditure pertaining to Mineral Resources Department.	Revenue 57,00,000	0	57,00,000
26	Expenditure pertaining to Culture Department	Revenue 1,70,00,100	0	1,70,00,100
27	School education	Revenue 17,46,16,700	0	17,46,16,700
28	State Legislature	Revenue 1,05,00,000	0	1,05,00,000
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Revenue 19,40,00,000	0	19,40,00,000
31	Expenditure pertaining to Planning Economics and Statistics Department.	Revenue 1,99,69,000	0	1,99,69,000
33	Expenditure pertaining to Tribal welfare Department.	Revenue 15,00,000	0	15,00,000
34	Expenditure pertaining to Social welfare Department.	Revenue 65,50,000 Capital 1,00,00,000	0 0	65,50,000 1,00,00,000

No. of Vote	Services and purposes.	Sums not-exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total	
(1)	(2)	Rs.	Rs.	Rs.	
36	Transport	Revenue	48,00,000	0	48,00,000
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue	33,21,38,500	0	33,21,38,500
		Capital	4,00,00,200	0	4,00,00,200
42	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-roads and bridges.	Capital	18,45,00,100	0	18,45,00,100
43	Expenditure pertaining to Sports and Youth Welfare Department.	Revenue	15,00,000	0	15,00,000
		Capital	20,00,00,000	0	20,00,00,000
44	Expenditure pertaining to Higher Education Department.	Revenue	11,65,00,000	0	11,65,00,000
46	Expenditure pertaining to Science and Technology Department.	Revenue	1,30,00,000	0	1,30,00,000
47	Man-Power Planning and Technical Education Department.	Revenue	40,00,000	0	40,00,000
		Capital	3,00,00,000	0	3,00,00,000
48	Administration Upgradation Grant Under Eleventh Finance Commission.	Capital	100	0	100
51	Expenditure pertaining to Religious Trusts and Endowments Department.	Revenue	0	8,00,000	8,00,000
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare.	Revenue	85,88,000	0	85,88,000
56	Rural Industries	Revenue	1,05,00,000	0	1,05,00,000
60	Expenditure pertaining to District plan schemes.	Capital	100	0	100
64	Special Component Plan For Scheduled Castes.	Revenue	22,28,38,100	0	22,28,38,100
		Capital	4,50,00,200	0	4,50,00,200
67	Public Works-Buildings	Revenue	15,16,000	0	15,16,000
		Capital	6,71,91,200	0	6,71,91,200
68	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-buildings.	Capital	15,00,000	0	15,00,000
76	Externally aided Projects pertaining to Public Works Department.	Capital	5,00,00,000	0	5,00,00,000
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department	Revenue	4,39,70,000	0	4,39,70,000
80	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue	11,76,32,000	0	11,76,32,000

No. of Vote	Services and purposes.	Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total	
(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
81	Financial assistance to Urban bodies	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
82	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under the tribal area sub-plan.	Revenue	5,00,000	0	5,00,000
	Total	Revenue	2,03,87,11,666	6,80,25,100	2,10,67,36,766
		Capital	80,60,31,000	0	80,60,31,000
	Grand Total		2,84,47,42,666	6,80,25,100	2,91,27,67,766

